

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिवान, (मैरवाँ)

नामांकन संबंधी आवश्यक निदेश

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-12/प्रशि0-01/2016-59 के आदेश के आलोक में कोटिवार, रिक्ति के विरुद्ध तीन गुणा अभ्यर्थियों को नामांकन हेतु काउंसलिंग (Counselling) के लिए दिनांक 22.02.2021 को 10.00 पूर्वाह्न-5.00 अपराह्न बजे तक विज्ञान संकाय एवं दिनांक 23.02.2021 को 10.00 पूर्वाह्न-5.00 अपराह्न बजे तक कला/वाणिज्य संकाय में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग (Counselling) में चयनित अभ्यर्थी भाग नहीं लेते हैं तो उन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी।

काउंसलिंग (Counselling) के लिए चयनित अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे: -

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दो प्रति।
2. मैट्रिक / दसवीं / फोकनियों का मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अंक-पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र
3. इंटरमीडिएट / +2 / मौलवी / मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अंक-पत्र एवं मूल प्रवेश पत्र
4. उच्चतर योग्यता से संबंधित महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
5. आवासीय प्रमाण-पत्र अद्यतन (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
6. जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
7. निःशक्त प्रमाण-पत्र (जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
8. आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग / EWS का प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत)
9. चार रंगीन पासपोर्ट फोटो।
10. उच्च योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्र यदि हो तो।
11. आधार कार्ड मूल रूप से लाना अनिवार्य है।
12. बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।

1. निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक 12/ प्रशि0-01 / 2016-320, दिनांक 24.12.2020 के निदेशानुसार द्वितीय चयनित सूची के वैसे अभ्यर्थी जिनका इंटरमीडिएट/समकक्ष परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि 21 जनवरी 2020 से पूर्व का है उनका ही नामांकन किया जायेगा।

15/02/2021
प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
सिवान मैरवाँ।